माननीय न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींडसा के समक्ष

डॉ. एम. एस. मलिक, आईपीएस *(सेवानिवृत्त)* - याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य- प्रतिवादी

2011* की *CWP No.3879

मार्च 26,2013

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - धारा 6(3), 8(l)(g) (h), 19 - अधिकारियों के कार्यों का दायरा - याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी - प्रारंभिक जांच की प्रति, गवाहों के बयान और सीबीआई की फाइल जिसमें टिप्पणी/राय/सिफारिशें मांगी गई हैं - याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था लेकिन सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट में नाम जोड़ा गया - जानकारी इस आधार पर अस्वीकृत की गयी कि यह अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है - याचिकाकर्ता ने धारा 19 के तहत अपील दायर की - प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की आपूर्ति के संदर्भ में अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई - दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई - याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर कर आदेशों को चुनौती दी - रिट याचिका की अनुमति दी गयी- केंद्रीय आयोग के आदेश को रद्द किया गया - नए आदेश पारित करने का आदेश दिया गया -निर्धारित किया गया - आयोग को केवल यह निर्धारित करना और वापस करना था कि क्या मांगी गई और अस्वीकार कर दी गई जानकारी धारा 8 के तहत छूट में आती है।

यह अभनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित, दिनांक 12.1.2011 के अंतिम आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आयोग ने याचिका पर दूसरी अपील का निपटान करने के लिए कार्यवाही इस धारणा पर की कि जांच अधिकारी (आईओ) से शुरू होकर निदेशक, सीबीआई तक विभिन्न स्तरों पर दर्ज मामले की फाइल नोटिंग का अवलोकन करना उसके अधिकार क्षेत्र में है, और उसके बाद यह देखने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता का नाम आरोपी के रूप में जोड़ने का निर्णय उचित था या नहीं। स्पष्ट रूप से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत ऐसा कोई क्षेत्राधिकार उसके पास नहीं था।आयोग के कार्य कानून के नियम और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अर्ध-न्यायिक सामग्री के न्यायिक कार्य करने के समान हैं।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील पर विचार करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को पहले अपीलीय प्राधिकारी यानी पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआई, जोनल कार्यालय,चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 8.7.2009 के आदेश की वैधता की जांच करने की आवश्यकता थी, जिसमें

मांगी गई जानकारी के हिस्से को अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) और 8 (1) (एच) के तहत छूट का दावा करने से अस्वीकार कर दिया गया था। तदनुसार, आयोग को विशेष रूप से यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि क्या मांगी गई और अस्वीकृत सूचना अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किसी छूट के अंतर्गत आती है। दूसरी ओर, आयोग मांगी गई केस फाइलों/सूचना की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और इस आशय की टिप्पणियां दर्ज की हैं कि याचिकाकर्ता की आशंका कि उसका नाम सीबीआई में उच्चतम स्तर पर मनमाने ढंग से जोड़ा गया है, इस तरह की फाइल नोटिंग को पढ़ने और समझने से पैदा नहीं होता है। कमीशन स्पष्ट रूप से अपने संक्षिप्त विवरण को पार कर गया है।

(पैरा 8)

आगे माना गया कि इस न्यायालय का विचार है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.1.2011, अनुलग्नक पी 7 का आक्षेपित आदेश एक तर्कसंगत आदेश नहीं है और यह निर्धारित करने का विशिष्ट मुद्दा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी भी छूट के तहत आती है, इसकी जांच भी नहीं की गई है।

(पैरा 11)

आगे माना गया कि ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, केंद्रीय सूचना आयोग, अनुबंध पी 7 द्वारा पारित दिनांक 12.1.2011 के आदेश को रद्द किया जाता है। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और याचिकाकर्ता द्वारा पसंद की गई दूसरी अपील के अधिनिर्णय के दायरे को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के भीतर सख्ती से सीमित करने के बाद नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामले को केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में वापस भेजा जाता है।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता के वकील राजकुमार गुप्ता।

सुमीत गोयल, प्रतिवादी 2 से 4 के लिए वकील।

तेजिंदर सिंह ढींडसा, जे.

1. याचिकाकर्ता को सूचना देने से इनकार करना, जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को लागू किया था, ने तत्काल रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता पैदा कर दी है।
2. संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है, जिसने पुलिस महानिदेशक, हरियाणा का पद संभाला था। उसने अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निदेशक, सीबीआई, नई दिल्ली को दिनांक 27-4-2009 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें निम्नलिखित उल्लेख की मांग की गई थी।

(i)प्रारंभिक जांच की प्रति सं PECHG 2005ए0002 दिनांक 25-8-2005 जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की थी।

(ii)श्री रवि आजाद/पीएस, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक/जीआरपी/हरियाणा, अंबाला और अन्य के विरुद्ध दिनांक 19-6-2006 को एफआईआर संख्या चंडीगढ़ सीबीआई, एसीबी के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच संख्या PECHG 2005A0002 दिनांक 25.8.2005 के दौरान दर्ज किए गए सभी गवाहों की स्थिति।

(iii)सीबीआई की आधिकारिक केस फ़ाइल की प्रति जिसमें श्री विजय शंकर, आईपीएस, तत्कालीन निदेशक, सीबीआई द्वारा की गई टिप्पणियाँ/राय/टिप्पणियाँ/सिफारिशें सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने के लिए और मूल रूप से श्री रवि आजाद, आईपीएस, तत्कालीन एस.पी./ जीआरपी, हरियाणा, अंबाला और अन्य के खिलाफ दर्ज उपरोक्त मामले में सीबीआई की अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश करने के लिए हैं।

3. यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह की जानकारी इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मांगी गई थी कि उसका नाम एफआईआर संख्या चंडीगढ़ सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ 2006 RCCIIG2006A0017 दिनांक 19.6.2006 में नहीं आया था, लेकिन उसका नाम अंतिम चरण में मामले में जोड़ा गया था अर्थात अंबाला में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट में।

4. उपरोक्त नोटिस आवेदन को सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, चंडीगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया था। आदेश दिनांक 16.6.2009, अनुलग्नक पी 3, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, चंडीगढ़ ने इस आधार पर मांगी गई सूचना की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया कि इससे अभियोजन की प्रक्रिया बाधित हो सकती है और, तदनुसार, अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के तहत छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआई, जोनल कार्यालय, चंडीगढ़ के समक्ष अपील की। अनुबंध पी 5 पर दिनांक 8-7-2009 के आदेश के अनुसार ऐसी प्रथम अपील मांगी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के संदर्भ में आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी लेकिन शेष सूचना को धारा 8(1) 1) (g) और 8 (1)(1)(h) के तहत छूट प्राप्त होने के कारण इनकार कर दिया गया। अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा पसंद की गई दूसरी अपील को केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.1.2012 द्वारा निपटाया गया है, जिससे पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआई, आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ के निर्णय यानी पहली अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा गया है।

5. यह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 16.6.2009, अनुलग्नक पी 3, दिनांक 8.7.2009, अनुलग्नक पी 5, और केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 12.1.2011, अनुलग्नक पी 7, के आदेशों को लागू करने की दिशा में है कि तत्काल रिट याचिका दायर की गई है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया है और रिकॉर्ड पर दी गई दलीलों का अवलोकन किया गया है।

7. केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 12.1.2011 के अंतिम आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील का निपटान करने के लिए कार्यवाही की है कि जांच अधिकारी (आइ ओ) से लेकर निदेशक(सीबीआइ) तक विभिन्न स्तरों पर दर्ज मामले की फाइल नोटिंग का अवलोकन करना उसके अधिकार क्षेत्र में है और उसके बाद यह देखने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता का नाम आरोपी के रूप में जोड़ने का निर्णय उचित था या नहीं। इस तरह के प्रश्न को स्पष्ट रूप से केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दर्ज नहीं किया जा सकता था क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र इसके साथ निहित नहीं होगा। आयोग के कार्य कानून के शासन और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अर्ध-न्यायिक सामग्री के न्यायिक कार्यों को निष्पादित करने के समान हैं।

8. केंद्रीय सूचना आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील को जब्त करते समय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआइ, जोनल कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 8.7.2009 के आदेश की वैधता की जांच करने की आवश्यकता थी, जिसमें मांगी गई जानकारी के हिस्से को ,धारा 8 (1) (g) और 8 (1)(h) के अंतर्गत छूट प्राप्त होने के कारण, देने से इंकार कर दिया गया था।तदनुसार, आयोग को विशेष रूप से यह निर्धारित करना था और एक निष्कर्ष वापस करना था कि क्या अधिनियम की धारा 8 के तहत माँगी गयी जानकारी देने से कोई छूट नहीं दी गई है। दूसरी ओर, आयोग मांगी गई जानकारी/जानकारी की जांच करने के लिए आगे बढ़ा है और इस आशय की टिप्पणियों को दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता की आशंका कि उसका नाम में उच्चतम स्तर पर मनमाने ढंग से जोड़ा गया है, ऐसी फाइल नोटिंग को पढ़ने और समझने से पैदा नहीं होता है। आयोग ने स्पष्ट रूप से अपने संक्षिप्त को पार कर लिया है।

9. दिनांक 12.1.2011 के आक्षेपित आदेश में, दर्ज किया गया एकमात्र प्रासंगिक तर्क निम्नलिखित प्रभाव से है:

   पीठ ने कहा, "हम प्रतिवादियों की इस दलील से पूरी तरह सहमत हैं कि अगर इन टिप्पणियों का खुलासा किया गया तो ये टिप्पणियां आरोपी व्यक्तियों के अभियोजन को बाधित कर सकती हैं।"

10. केन्द्रीय सूचना आयोग सहित अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों के न्यायनिर्णयन कार्यों का दायरा **नमित शर्मा बनाम भारत संघ (1)**[1] नामक हाल ही के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था। यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि द्वितीय अपील यानी के चरण में सूचना आयोग (केंद्रीय/राज्य) न्यायिक कार्य करता है जो विशेष रूप से उन्मुख और न्यायिक निर्धारण प्रक्रिया के समान होता है। आगे यह माना गया कि दिमाग का अनुप्रयोग और तर्कसंगत आदेश पारित करना अधिनियम की योजना में अंतर्निहित है।

11. न्यायालय का विचार है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.1.2011, अनुलग्नक पी 7 का आक्षेपित आदेश एक तर्कसंगत आदेश नहीं है और विशिष्ट मुद्दे की जांच भी नहीं की गई है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी भी छूट के तहत आती है।

12. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, केंद्रीय सूचना आयोग, अनुबंध पी 7 द्वारा पारित दिनांक 12.1.2011 के आदेश को रद्द किया जाता है। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई द्वितीय

---

[1](1) 2012(4) RCR(Civil) 903

अपील के अधिनिर्णय के कार्यक्षेत्र को अधिनियम के उपबंधों द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के भीतर सख्ती से सीमित करने के बाद नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामले को केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के पास वापस भेजा जाता है। यदि इस आदेश की प्रमाणित प्रति संप्रेषित करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इस तरह का नया निर्णय शीघ्रता से और किसी भी मामले में लिया जाता है तो इसकी सराहना की जाएगी।

13. उपरोक्त शर्तों में याचिका की अनुमति दी जाती है।

जे०एस महंदिरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा।